न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 21 सन 2017

अनवान :–

1. हरिभगत पुत्र रामदयाल जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल–

बनाम

1. रामदयाल पुत्र मुकनाराम जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर
2. राधाकिशन पुत्र रामदयाल जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर
3. सुभाष पुत्र रामदयाल जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
4. कृष्णा 5. द्रोपती पुत्रीयान रामदयाल जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 16/08/2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि मुकनाराम पुत्र नानुराम जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम के थे मुकनाराम पुत्र नानुराम के फोत होने पर उसके पांच पुत्र हुऐ इनमें से एक पुत्र खोले चला गया जिसके कारण मुकनाराम के फोत होने पर मुकनाराम की कृषि भूमि उसके चारों पुत्रों पर औद हुई।

गैरसायल न0 1 रामदयाल पुत्र मुकनाराम के हिस्से में रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 109/101 की कुल 2.7830हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 4/135 की कुल 110 हिस्सा मे प0न0 312/383(82) के किला न0 2/0.228 , 9/0.253 ,11 ता 13/0.759हैक , 14/2 की 0.127हैक ,मु0न0 406/25 की 0.026हैक रास्ता कुल 1.393हैक भूमि हिस्से में आई जिसमें से 20 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 2 को दान कर दी गई।

उपरोक्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है उपरोक्त पैतृक हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज है जिसमें सायल व गैरसायल न0 2 ता 5 व गैरसायल न0 1 का बहिव का हक हिस्सा है

गेरसायल न0 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पूर्व में ही वह वाद भूमि में से गैरसायल न0 3 को दान कर चुका है क्योकि गैरसायल न0 1 गैरसायल न0 2 ,3 के असर में है जिसके कारण गैरसायल न0 1 अपने नाम वाद भूमि दर्ज होने का फायदा उठा कर रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 109/101 की कुल 2.7830हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 4/135 की कुल 110 हिस्सा में प0न0 312/383(82) के किला न0 2/0.228 , 9/0.253 ,11 ता 13/0.759हैक , 14/2 की 0.127हैक ,मु0न0 406/25 की 0.026हैक रास्ता कुल 1.393हैक भूमि मे से 90 हिस्सा भूमि को ताफैसल रहन बेय नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल न0 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि उतरदाता की स्वय पैदा करदा भूमि व खरीदशुद्वा भूमि है तथा हरीभगत की उम्र जब 4 साल की थी तब बेनामी तौर पर उसके नाम उतरदाता ने चक 1 आरपीएम में 6.00 बीघा भूमि खरीद की थी जो बैनामी तौर पर लाड प्यार की वजह से खरीदी थी इसलिये जरिये काउन्टर क्लेम 6 बीघा भूमि से हरिभगत का नाम कलमजन कर उतरादाता की खरीदशुद्वा खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

हरीभगत ललाची किस्म का व्यक्ति है तथा उतरदाता के वृद्व होने का फायदा उठाकर परेशान कर रहा है उतरादाता ने दिनांक 09.05.1974 को हरीभगत उर्फ भगता के नाम सुरजा वल्द बस्तीराम से 6.00 बीघा भूमि खरीदी थी जिसमें यह शपथ पत्र शामिल करवाया गया था कि वह अपने नाबालिग बच्चे के नाम खरीद कर रहा है सिलिंग से प्रभावित नही है इसी प्रकार उतरदाता अपने सभी बच्चों को बराबर बराबर भूमि देना चाहता है जिसमें उक्त खरीदशुद्वा भूमि भी शामिल है इसलिये हरिभगत के मन में बेईमानी आ गई इसके अलावा उतरदाता ने हरिभगत को 2.01 बीघा भूमि चक 1 आरपीएम में और खरीद कर दी है इसप्रकार हरिभगत के पास कुल 8.00 बीघा भूमि खरीद कर दे रखी है हरिभगत खरीद की गई भूमि के अलावा अन्य भूमि में बराबर का हक हिस्सा चाहता है जो उचित नही है इसलिये भूमि हडप करने के लिये प्रार्थना पत्र /वाद पेश किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र कपट पूर्ण पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। खारिज फरमाया जावें

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की मुकनाराम पुत्र नानुराम जाति सुथार निवासी चक 1 आरपीएम के थे मुकनाराम पुत्र नुानराम के फोत होने पर उसके पांच पुत्र हुऐ इनमें से एक पुत्र खोले चला गया जिसके कारण मुकानाराम के फोत होने पर मुकनाराम की कृषि भूमि उसके चारों पुत्रों पर औद हुई।

गैरसायल न0 1 रामदयाल पुत्र मुकनाराम के हिस्से में रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 109/101 की कुल 2.7830हैक्‍ भूमि एवं रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 4/135 की कुल 110 हिस्सा में प0न0 312/383(82) के किला न0 2/0.228, 9/0.253 ,11 ता 13/0.759हैक्‍ , 14/2 की 0.127हैक्‍ ,मु0न0 406/25 की 0.026हैक्‍ रास्ता कुल 1.393हैक्‍ भूमि हिस्से में आई जिसमें से 20 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 2 को दान कर दी गई।

उपरोक्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है उपरोक्त पैतृक हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज है जिसमें सायल व गैरसायल न0 2 ता 5 व गैरसायल न0 1 का बहिब का हक हिस्सा है

गेरसायल न0 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पूर्व में ही वह वाद भूमि में से गैरसायल न0 3 को दान कर चुका है क्योंकि गैरसायल न0 1 गैरसायल न0 2 ,3 के असर में है जिसके कारण गैरसायल न0 1 अपने नाम वाद भूमि दर्ज होने का फायदा उठा कर रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 06.03.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म करने के आदेश फरमावें।

वकील गेरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि उतरदाता की स्वय पैदा करदा भूमि व खरीदशुद्वा भूमि है तथा हरीभगत की उम्र जब 4 साल की थी तब बेनामी तौर पर उसके नाम उतरदाता ने चक 1 आरपीएम में 6.00 बीघा भूमि खरीद की थी जो बैनामी तौर पर लाड प्यार की वजह से खरीदी थी इसलिये जरिये काउन्टर क्लेम 6 बीघा भूमि से हरिभगत का नाम कलमजन कर उतरादाता की खरीदशुद्वा खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

हरीभगत ललाची किस्म का व्यक्ति है तथा उतरदाता के वृद्व होने का फायदा उठाकर परेशान कर रहा है उतरादाता ने दिनांक 09.05.1974 को हरीभगत उर्फ भगता के नाम सुरजा वल्द बस्तीराम से 6.00 बीघा भूमि खरीदी थी जिसमें यह शपथ पत्र शामिल करवाया गया था कि वह अपने नाबालिग बच्चे के नाम खरीद कर रहा है सिलिंग से प्रभावित नही है इसी प्रकार उतरदाता अपने सभी बच्चों को बराबर बराबर भूमि देना चाहता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मोहर

है जिसमें उक्त खरीदशुदा भूमि भी शामिल है इसलिये हरिभगत के मन में बेईमानी आ गई इसके अलावा उतरदाता ने हरिभगत को 2.01 बीघा भूमि चक 1 आरपीएम में और खरीद कर दी है इसप्रकार हरिभगत के पास कुल 8.00 बीघा भूमि खरीद कर दे रखी है हरिभगत खरीद की गई भूमि के अलावा अन्य भूमि में बराबर का हक हिस्सा चाहता है जो उचित नही है इसलिये भूमि हडप करने के लिये प्रार्थना पत्र /वाद पेश किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र कपट पूर्ण पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। खारिज फरमाया जावे

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरसायल न0 1 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है सायल वर्तमान में किसी भी प्रकार का टिनेन्ट राजस्व रिकार्ड में नही है गैरसायल के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज एवं पर्चा खतौनी में दर्ज भूमि जो गैरसायल न0 1 के पिता के नाम से दर्ज है का प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का पूर्णरूप से मिलान नही हो रहा है अर्थात प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि समस्त पैतृक होना साबित नही होता है ना ही सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में पैतृक भूमि जो गैरसायल न0 1 के हिस्से में आई है का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है।

गैरसायल न0 1 के द्वारा प्रस्तुत बेयनामा के अनुसार चक 1 आरपीएम की भूमि हरिभगत के द्वारा जरिये बैयनामा नाबालिग के समय खरीद की गई थी यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की किसके द्वारा भूमि खरीद की गई थी।

गेरसायल का कथन यह भी है कि वह अपने सभी चारों पुत्रों का बराबर भूमि देना चाहता है किन्तु सायल को ऐतराज है क्योकि जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि को छोडकर शेष भूमि में बराबर का हक हिस्सा चाहता है गैरसालय का यह कथन भी वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तनकीयात कायम होने पर ही हो सकता है।

गैरसायल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है यदि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो सायल को किसी प्रकार को कोई प्रभाव नही होगा क्योकि सायल किसी प्रकार का टिनेन्ट ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है गैरसायल न0 1 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति का बिन्दु का जहाँ तक प्रश्न है वह भी सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल के पक्ष में है क्योकि की गैरसायल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति खातेदार काश्तकार को होगी।

इसप्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल न0 1 के पक्ष में साबित होते है सायल ने मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत पेश नही किये गये है कथनों के आधार पर किसी खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

उरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 06.03.2017 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner